राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6994/2023

गोविंद सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट श्री. किशन सिंह खिची, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 10-जी-32, तिलक नगर, भीलवाड़ा (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

2. उम्मेद सिंह, द्वितीय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (राज.) वर्तमान में निवासी कुम्हेर जिला। भरतपुर (राज.)

3. रामसिंह, सेवानिवृत्त आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.) वर्तमान में निवासी सीकर (राज.)

4. रवीन्द्र सिंह, आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

5. भवानी, सेवायोजक आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

6. श्यामलाल, स्वास्थ्य निरीक्षक, निवासी वार्ड नंबर 39. भीलवाड़ा (राज.)

7. कश्मीर मोहम्मद शेख पुत्र स्वर्गीय अनार मोहम्मद शेख मुस्लिम, निवासी श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने, हनो। - 520 लेबर कॉलोनी, पुर रोड, भीलवाड़ा (राज.)

8. मुंशी मोहम्मद, सेवादार आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री कुणाल कल्ला (वीसी के माध्यम से)

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

27/08/2024

1. याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 3/2019 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 3, भीलवाड़ा द्वारा पारित दिनांक 13.09.2021 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 और 120-बी के तहत कथित अपराधों के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 14.09.2017 के अपने आदेश द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया था। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 3, भीलवाड़ा के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. मैंने याचिकाकर्ता और विद्वान पीपी के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. आक्षेपित पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश अन्य बातों के साथ-साथ इस तर्क पर आधारित है कि शिकायतकर्ता का कथन, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके नाम पर कोई ऑटो या वाहन नहीं था और झूठी रिपोर्ट के कारण उसका बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया गया, अधीनस्थ न्यायालय की फाइल में संलग्न टेम्पो संख्या आरजे 06 पीए 4647 के पंजीकरण के विवरण को देखते हुए सटीक प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया

यह स्थापित नहीं किया है कि अभियुक्त ने झूठे साक्ष्य कैसे गढ़े। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त संख्या 2 (उमेद सिंह), संख्या 3 (राम सिंह), संख्या 4 (रविंद्र सिंह), संख्या 5 (भवानी), संख्या 6 (श्यामलाल) और संख्या 8 (मुशी मोहम्मद) लोक सेवक हैं। यदि आईपीसी की धारा 193 के तहत कोई अपराध लोक सेवकों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में की गई कार्रवाई के संबंध में गठित होता है, तो ऐसे मामले का संज्ञान केवल सीआरपीसी की धारा 195 के तहत लोक सेवक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिया जा सकता है। इसलिए, न केवल धारा 195 सीआरपीसी के प्रावधानों का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है, बल्कि शिकायतकर्ता भी प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने कश्मीर मोहम्मद के साथ मिलकर उसके खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़े हैं। परिणामस्वरूप, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है।

5. उचित पुनर्विचार करने पर, मुझे लगता है कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कारण और निष्कर्ष रिकॉर्ड और लागू कानून के अनुसार सही हैं। मैं उनसे सहमत हूं। गहन समीक्षा करने पर, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्कों के दौरान रिकॉर्ड पर या अन्यथा प्रदर्शित कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जिससे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों की सत्यता या किसी भी प्रक्रियात्मक अवैधता पर विवाद हो, जो धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत पुनर्विचार की मांग करे।

6. यह मामला सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, जो अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 195 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत संबंधित

लोक प्राधिकरण द्वारा दायर की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट ऐसे अपराधों का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि धारा 195 की शर्तें पूरी न हों, जो कि यहां मामला नहीं है।

7. ट्रायल कोर्ट और रिविजनल कोर्ट दोनों ने आईपीसी और सीआरपीसी की धारा 193 और 195 सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए कानून को उचित रूप से लागू किया है।

8. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है।

9. याचिका खारिज की जाती है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।